न्यूज़ टुडे

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) तथा पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG) विनियमों को प्रभावी बनाना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की 'अनुदान मांगों (2025-26)' पर 10वीं रिपोर्ट में विविध मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और कई सिफारिशें की गई हैं:-

क्षेत्र	समस्याएं	सिफारिशें
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	› CSR फ्रेमवर्क को लागू करने और निगरानी में **खामियां मौजूद हैं।** › **CSR के तहत व्यय की प्रभावशीलता पर विस्तृत विश्लेषण** का अभाव है। › बिना खर्च हुई CSR राशि का लेखा-जोखा अभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है।	› **अधिक व्यापक रिपोर्टिंग और निगरानी फ्रेमवर्क** स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, CSR संबंधी परियोजनाओं के **प्रभाव और परिणामों** पर विस्तृत रिपोर्ट का **नियमित प्रकाशन** करना। › अनुपालन न करने की स्थिति में समय पर **दंड आरोपित** किए जाने चाहिए।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)	› **हितों का टकराव और प्रावधानों की असमान व्याख्या के कारण IBC के तहत** समाधान प्रक्रिया में देरी होती है। › **IBC के तहत समाधान पेशेवरों** (RPs) के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए कोई मजबूत फ्रेमवर्क नहीं है।	› **समाधान संबंधी योजनाओं को केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल** के माध्यम से **प्रत्यक्ष रूप से लागू करने हेतु प्रणाली स्थापित** की जानी चाहिए। › RPs के लिए कठोर प्रमाणन मानक और प्रदर्शन के मामले में स्वतंत्र समीक्षा लागू की जानी चाहिए। › **परिचालनरत लेनदारों** के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए लेनदारों की समिति (CoC) की संरचना की समीक्षा करनी चाहिए।
पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG)	› **ग्रीनवॉशिंग** का जोखिम लगातार **बढ़ रहा है।** › लघु व्यवसायों को ESG प्रणाली को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	› अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्रीनवाशिंग के लिए दंड आरोपित करने हेतु मंत्रालय के तहत एक समर्पित **ESG पर्यवेक्षण निकाय गठित** करना चाहिए। › निदेशकों के लिए **प्राथमिक कर्तव्यों** के रूप में ESG उद्देश्यों को शामिल करने हेतु **कंपनी अधिनियम, 2013** में संशोधन किया जाना चाहिए। › लेखापरीक्षा समितियों के समान **स्वतंत्र ESG समितियां गठित** की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वर्गीकरण के लिए संशोधित टर्नओवर एवं निवेश मानदंड अधिसूचित किए

संशोधित मानदंड **1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी** होंगे। गौरतलब है कि MSMEs के वर्गीकरण के लिए मानदंडों में संशोधन की घोषणा **केंद्रीय बजट 2025-26** में की गई थी।

MSMEs का महत्त्व

- **रोजगार सृजन:** देश में **5.93 करोड़ पंजीकृत MSMEs** हैं। इनमें 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त है।
- **आर्थिक उत्पादन:** 2023-24 में MSMEs से संबंधित उत्पादों ने **भारत के कुल निर्यात में 45.73% का योगदान** दिया था।
- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान:** MSMEs का **सकल मूल्य वर्धन (GVA)** 2020-21 के 27.3% से बढ़कर **2022-23 में 30.1%** हो गया।
- **अन्य योगदान:**
  - ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में सहायता करते हैं,
  - क्षेत्रीय असमानताओं को कम करते हैं, और
  - राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं।

MSMEs के समक्ष चुनौतियां

- **बुनियादी ढांचे में कमी की समस्या** का सामना करना पड़ता है;
- अधिकतर MSMEs अनौपचारिक क्षेत्रक में हैं और उन्हें **औपचारिक होने में समस्याओं का सामना** करना पड़ता है,
- **नई तकनीकों को अपनाने में झिझक** देखी जाती है,
- कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने **(बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज)** में कठिनाई आती है,
- **ऋण और जोखिम पूंजी प्राप्त करने में समस्या** आती है,
- बेचे गए उत्पाद के बदले **भुगतान प्राप्त करने में लंबा इंतजार** करना पड़ता है, आदि।

MSMEs के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड

श्रेणी	निवेश मानदंड	वार्षिक टर्नओवर मानदंड
सूक्ष्म उद्यम	2.5 करोड़ रुपये तक (पहले 1 करोड़ रुपये तक)	10 करोड़ रुपये तक (पहले 5 करोड़ रुपये तक)
लघु उद्यम	25 करोड़ रुपये तक (पहले 10 करोड़ रुपये तक)	100 करोड़ रुपये तक (पहले 50 करोड़ रुपये तक)
मध्यम उद्यम	125 करोड़ रुपये तक (पहले 50 करोड़ रुपये तक)	500 करोड़ रुपये तक (पहले 250 करोड़ रुपये तक)

MSMEs के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें

- **उद्योग पंजीकरण पोर्टल:** यह प्लेटफॉर्म उद्यमों के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाता है।
- **प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना:** इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र समर्थन प्रदान करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** यह क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रक में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।
- **पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि योजना (SFURTI):** इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को क्लस्टर में संगठित करना है।

"टेकलिंग ब्लैक कार्बन: हाउ टू अनलॉक फास्ट क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी बेनिफिट्स" रिपोर्ट जारी की गई

यह रिपोर्ट **क्लीन एयर फंड** ने जारी की है। रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि अन्य शक्तिशाली प्रदूषकों के साथ-साथ ब्लैक कार्बन के स्तर को कम करने से वायु गुणवत्ता, लोक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा, सर्वाधिक तेजी से जलवायु को भी बेहतर बनाया जा सकता है।

ब्लैक कार्बन क्या है?

- ब्लैक कार्बन को आमतौर पर **कालिख** के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत **सूक्ष्म कणिकीय वायु प्रदूषण** (PM 2.5) का एक घटक है।
- ब्लैक कार्बन एक **अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक** (SLCP) है। यह वायुमंडल में केवल कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक ही बना रहता है।
- **शीर्ष उत्सर्जक:** चीन के बाद भारत **दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक कार्बन उत्सर्जक देश है।**

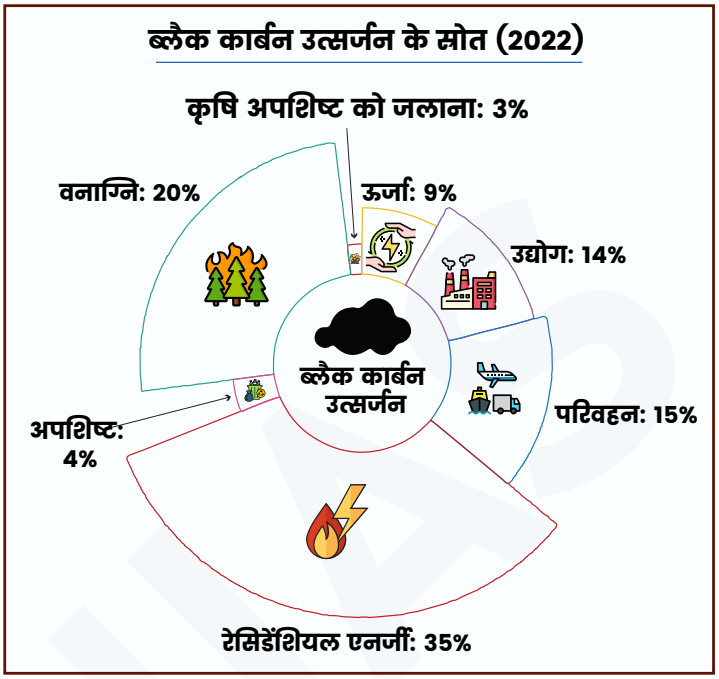

ब्लैक कार्बन के प्रभाव

- **ग्लोबल वार्मिंग:** यह **मीथेन** सहित उन शक्तिशाली प्रदूषकों में से एक है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लगभग आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं।
- **क्षेत्रीय जलवायु पर प्रभाव:** यह हिमावरण और हिमनदों पर जमा होकर उनका रंग काला कर देता है। इससे आर्कटिक क्षेत्र एवं हिमनदों में बर्फ पिघलने की गति बढ़ जाती है।
  - ऐसा अनुमान है कि **तिब्बत के पठार में मौजूद याला हिमनद के द्रव्यमान में 39% की कमी** आई है।
- **जल विज्ञान चक्र में व्यवधान:** यह एशिया और पश्चिमी अफ्रीका की मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है। इससे बाढ़ एवं सूखा जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ता है।

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **आर्कटिक में और उसके आसपास के ब्लैक कार्बन गहन क्षेत्रकों** (गैस फ्लेयरिंग, पोत-परिवहन क्षेत्रक और रेसिडेंशियल हीटिंग) से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी चाहिए।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु और ऊर्जा नीतियों** के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) में संशोधन करके ब्लैक कार्बन में कटौती करने संबंधी लक्ष्यों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **शक्तिशाली प्रदूषकों पर समन्वित कार्रवाई** की जानी चाहिए। जैसे व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन समाधान को अपनाना आदि।

RBI ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण दिशा-निर्देशों को संशोधित किया

संशोधित दिशा-निर्देश **1 अप्रैल 2025** से प्रभावी होंगे। ये दिशा-निर्देश **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 21 और 35A द्वारा प्रदत्त शक्तियों** का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

संशोधित दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- **विविध ऋण सीमाओं में वृद्धि:-**
  - **शिक्षा:** अब व्यक्ति शिक्षा के लिए **25 लाख रुपये तक का ऋण** ले सकते हैं। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल है।
  - **सामाजिक अवसंरचना:** यदि कोई व्यक्ति स्कूल, पेयजल जैसी सुविधाएं स्थापित करना चाहता है, तो वह अधिकतम **8 करोड़ रुपये** तक का ऋण ले सकता है।
  - **अन्य:** आवास ऋण, कृषि ऋण जैसी अन्य ऋण श्रेणियों की अधिकतम सीमा भी बढ़ाई गई है।
- **'नवीकरणीय ऊर्जा' पर फोकस:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत जनरेटर्स और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पब्लिक यूटिलिटीज (जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण आदि) के लिए **35 करोड़ रुपये तक का ऋण** लिया जा सकता है।
    - नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी व्यक्तिगत आवश्यकों के लिए व्यक्ति **10 लाख रुपये** तक का ऋण ले सकता है।
- **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए PSL लक्ष्य में संशोधन**
  - **कुल प्राथमिकता क्षेत्रक:** 60%
  - **सूक्ष्म उद्यम:** 7.5%
  - **कमजोर वर्गों को अग्रिम:** 12%
- **'कमजोर वर्ग' की परिभाषा का विस्तार-**
  - इसमें अब **ट्रांसजेंडर्स** को भी शामिल किया गया है। साथ ही, पहले की श्रेणियां बरकरार रखी गई हैं, जिनमें सम्मिलित हैं-
    - लघु और सीमांत किसान; असंगठित ऋणदाताओं के कर्ज में फंसे किसान; कारीगर; SHGs या संयुक्त देयता समूहों के व्यक्तिगत सदस्य।
    - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति; दिव्यांग व्यक्ति; भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय आदि।
    - व्यक्तिगत महिला लाभार्थी 'प्रति ऋण-प्राप्तकर्ता-2 लाख रुपये तक की ऋण सीमा' (शहरी सहकारी बैंकों पर ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी)।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लिए टारगेट्स/ सब-टारगेट्स

श्रेणियां	टारगेट्स/ सब-टारगेट्स			
	घरेलू वाणिज्यिक बैंक एवं 20+ शाखाओं वाले विदेशी बैंक	20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)	लघु वित्त बैंक (SFB)
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक (PSL)	40%	40% (32% तक निर्यात ऋण के रूप में)	75%	75%
कृषि	18%	NA	18%	18%
सूक्ष्म उद्यम	7.5%	NA	7.5%	7.5%
कमजोर वर्ग	12%	NA	15%	12%

नोट: ऊपर दिए गए प्रतिशत **समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (CEOBSE)** जो भी अधिक हो, के प्रतिशत के रूप में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश **जस्टिस एस. रवींद्र भट** को इस कार्यबल का अध्यक्ष बनाया गया है। यह कार्यबल विद्यार्थियों द्वारा **आत्महत्या करने के प्रमुख कारणों की पहचान** करेगा तथा **शैक्षिक माहौल को अधिक समावेशी एवं अनुकूल बनाने के लिए उपाय सुझाएगा।**

भारत में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या संबंधी मुद्दे

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट** के अनुसार, 2022 में भारत में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों में **7.6% मामले विद्यार्थियों की आत्महत्या** से संबंधित थे।
  - 2012-22 के दशक में, विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के कुल मामले **6,654 से बढ़कर 13,044** हो गए थे।
- **महाराष्ट्र** में सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद **मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा** का स्थान है।

विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे जिम्मेदार कारण

- **शैक्षणिक कारण:** पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहना, पढ़ाई का दबाव और परीक्षा में असफलता।
- **संस्था से जुड़े कारण:** बुलिंग, रैगिंग, राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक विश्वासों के कारण भेदभाव आदि।
- **सामाजिक-आर्थिक कारण:** जाति-आधारित भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, नस्लीय भेदभाव आदि।
- **अन्य कारण:** आर्थिक तंगी और ऑनलाइन गेमिंग।

भारत में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **मनोदर्पण:** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व सेहतमंदी के लिए मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS):** इस रणनीति की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने 2022 में की थी। इसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या से संबंधित मौतों के मामले में 10% तक की कमी करना है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP):** इस कार्यक्रम के तहत 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- **ड्राफ्ट उम्मीद/ UMMEED (अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, इंफेथाईज़, एम्पावर एंड डेवलप):** यह आत्महत्या की रोकथाम हेतु स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश है। इसे 2023 में जारी किया गया था।

भारत ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस (TB) के 10,000 जीनोम अनुक्रम पूरे कर लिए हैं

जीनोम अनुक्रम (Genome Sequences) पहल **Dare2eraD TB कार्यक्रम** के तहत संपन्न की गई है।

- Dare2eraD TB कार्यक्रम **मार्च 2022 में शुरू** किया गया था। यह कार्यक्रम टीबी यानी तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए डेटा-आधारित अनुसंधान पर बल देता है।

Dare2eraD TB कार्यक्रम के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय/ विभाग:** केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)।
- इस कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक **'इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम (InTGS)' है।**
- **उद्देश्य:** 32,000 से अधिक टीबी आइसोलेट्स का अनुक्रमण करना, ताकि दवा-प्रतिरोधी उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की पहचान की जा सके और बेहतर उपचार विकसित किया जा सकें।

भारत में टीबी रोग के मामले

- **विश्व में सबसे अधिक मामले: विश्व में टीबी के 27% रोगी भारत में** हैं। इस तरह दुनिया में टीबी रोग के सबसे अधिक मरीज भारत में हैं।
- **अनुमानित मौतें:** टीबी से 2022 में 3,31,000 लोगों की मौत हो गई थी। यह प्रति एक लाख जनसंख्या पर 23 मौतें हैं।

भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP):** इसका नाम बदलकर अब **संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)** कर दिया गया है। इसका लक्ष्य **भारत में 2025 तक टीबी रोग का उन्मूलन** करना है।
- **NTEP के प्रमुख घटक:**
  - **प्रधान मंत्री टीबी-मुक्त भारत अभियान (PMTBMBA):** इसके तहत टीबी के मरीजों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है।
  - **निक्षय पोषण योजना (NPY):** इसके तहत टीबी रोगियों के पोषण के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **अन्य पहलें: टीबी मुक्त पंचायत पहल, आदिवासी टीबी पहल,** आदि।

विश्व तपेदिक (TB) दिवस

- प्रत्येक वर्ष **24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस** आयोजित किया जाता है।
- तपेदिक वायु के माध्यम से फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस** के कारण होता है।
  - ट्यूबरक्लोसिस मुख्य रूप से तब फैलता है, जब लोग उस मरीज द्वारा संक्रमित हवा में सांस लेते हैं, जिसे सक्रिय टीबी रोग है।
- **टीबी के प्रकार:**
  - **पल्मोनरी टीबी:** यह बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है।
  - **एक्सट्रा-पल्मोनरी टीबी:** यह बीमारी लसीका ग्रंथियों, हड्डियों, मस्तिष्क आदि को प्रभावित करती है।

अन्य सुर्ख़ियां

IOS सागर और ऐक्यम् (AIKEYME)

भारतीय नौसेना ने IOS सागर और ऐक्यम् (AIKEYME) नामक पहली पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 'प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर' और 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता'** के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करना है।

इंडियन ओसियन शिप (IOS) सागर के बारे में

- इसके तहत, **INS सुनैना को दक्षिण-पश्चिम IOR** में तैनात किया जा रहा है, जिसमें भारत और **9 मित्र देशों (कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका)** के चालक दल शामिल होंगे।

अफ्रीका-भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता (Africa India Key Maritime Engagement: AIKEYME) के बारे में

- यह अंतर-परिचालनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए **अफ्रीकी देशों** के साथ **बहुपक्षीय** समुद्री सैन्य अभ्यास है।
- इसका शीर्षक **'ऐक्यम् (AIKEYME)' है, जिसका संस्कृत में अर्थ 'एकता'** होता है।
- **भागीदारी:** भारत, तंजानिया (सह-आयोजक के रूप में) तथा कोमोरोस, जिबूती, इरीट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका।

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

केंद्र सरकार ने अस्पतालों द्वारा **राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन** (NOTTO) को अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों से संबंधित डेटा न देने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

NOTTO के बारे में

- यह **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP)** को लागू करने और **मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994** के तहत गतिविधियां संचालित करने के लिए शीर्ष संस्था है।
- इसे **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय** के तहत स्थापित किया गया है।
- NOTTO देश में **अंग दान और वितरण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली** प्रदान करता है। यह संगठन उन **व्यक्तियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव** करता है, जिन्होंने **अंग व उत्तक दान** किए हैं और जिन्होंने उन्हें **प्राप्त** किया है।
- **इसके निम्नलिखित दो प्रभाग हैं:**
  - नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क।
  - नेशनल बायोमेटेरियल सेंटर (नेशनल टिश्यू बैंक)

डैले मिर्च

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने **सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक GI-टैग वाली डैले मिर्च** की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया।

डैले मिर्च के बारे में

- इसे **फायर बॉल मिर्च या डैले खुरसानी** के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने **तीव्र तीखेपन, चमकीले लाल रंग और उच्च पोषण मूल्य** के लिए प्रसिद्ध है।
- इसमें **पोटेशियम** के साथ-साथ **विटामिन A, C और E** भी भरपूर मात्रा में होता है।
- इसकी **स्कोविल हीट यूनिट (SHU) 100,000 से 350,000** तक होती है, जो इसे सबसे तीखी मिर्चों में से एक बनाती है।

क्रायोजेनिक संरक्षण पहल

पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान (PNHZP) भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है, जो विशेष रूप से बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्यजीवों के DNA नमूनों को संरक्षित करेगा। यह पश्चिम बंगाल के **दार्जिलिंग** जिले में स्थित है।

- **DNA नमूनों का संरक्षण करना क्रायोजेनिक संरक्षण पहल** का हिस्सा था। इसे PNHZP ने **कोशिकीय और आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद** के सहयोग से शुरू किया था।
- इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि ये प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, तो उनकी संरक्षित आनुवंशिक सामग्री से अनुसंधान और भविष्य में संरक्षण प्रयासों में मदद मिल सके।

पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान (PNHZP) के बारे में

- यह **भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्राणि उद्यान है।**
- यह **हिम तेंदुए और लाल पांडा** के संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है।

ब्लू फ्लैग

रुशिकोंडा बीच ने फिर से ब्लू फ्लैग टैग हासिल किया। ज्ञातव्य है कि खराब रखरखाव के कारण रुशिकोंडा से यह टैग वापस ले लिया गया था।

- विशाखापत्तनम का **रुशिकोंडा बीच** आंध्र प्रदेश का एकमात्र **ब्लू फ्लैग बीच** है। यह **भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीचों** में शामिल है।

ब्लू फ्लैग टैग के बारे में

- **किसे दिया जाता है:** इसे समुद्र तटों, मरीनों (पत्तनों के निकट मनोरंजन गतिविधियों हेतु लघु जल क्षेत्र) और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक **श्रेणी के लिए अलग-अलग** मानक होते हैं।
- **कौन देता है:** **डेनमार्क** स्थित एक **गैर-सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE)** द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- **कैसे मिलता है:** ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने हेतु कठोर **पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और अभिगम्यता मानदंडों** की एक श्रृंखला को पूर्ण करना तथा बनाए रखना आवश्यक है।

DNA पॉलिमॉर्फिज़्म

फोरेंसिक और चिकित्सा में DNA पॉलीमोरफ़िज़्म के कई उपयोग किए जा सकते हैं।

DNA पॉलिमॉर्फिज़्म के बारे में

- यह **व्यक्तियों के मध्य DNA खंडों या जीन्स में भिन्नता** को संदर्भित करता है।
- **इसका पता लगाने वाली तकनीकें:** रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिज़्म (RFLP) और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स (VNTR) पॉलिमॉर्फिज़्म।
- **DNA प्रोफाइल को आमतौर** पर DNA के उन हिस्सों में पॉलिमॉर्फिज़्म का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिन्हें **शॉर्ट टेंडम रिपीट्स (STRs)** कहा जाता है।
  - STR वस्तुतः **DNA पर क्षार-युग्मों का एक छोटा-सा क्रम** है, जो रिपीट होता रहता है।
- **उपयोग:** आणविक एवं व्यक्तिगत चिकित्सा; फोरेंसिक DNA; DNA लिंकेज आधारित विश्लेषण; व्यक्ति की पहचान करने में आदि।

ग्लोबल एनर्जी रिव्यू

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी **'ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, 2025'** रिपोर्ट प्रकाशित की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- 2024 में **वैश्विक ऊर्जा की मांग में 2.2% की बढ़ोतरी** हुई। इसमें **80% से अधिक योगदान** उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का रहा।
- 2024 में वैश्विक विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि में **80% नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा** का योगदान रहा। ऐसा पहली बार है **जब कुल विद्युत उत्पादन में इनका योगदान 40% से अधिक** रहा।
- 2019 से सोलर पी.वी, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कार और हीट पम्पस का उपयोग करने से **हर साल 2.6 बिलियन टन CO_2 उत्सर्जन कम** हुआ है, जो वैश्विक उत्सर्जन का 7% है।

वरुण सैन्य अभ्यास 2025

हाल ही में **वरुण सैन्य अभ्यास 2025** संपन्न हुआ।

वरुण 2025 के बारे में

- यह **भारत और फ्रांस** की नौसेना के बीच **द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।**
- **स्थान: अरब सागर।**
- **उद्देश्य:** संयुक्त कौशल को बढ़ाना, नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के सिद्धांतों को कायम रखना, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना आदि।
- इसमें **फ्रांसीसी राफेल-M और भारतीय मिग-29K** के बीच हवा-से-हवा युद्ध का मॉक अभ्यास किया गया।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

ईरान (राजधानी: तेहरान)

ईरान के **रिवोल्यूशनरी गार्ड्स** ने फारस की खाड़ी में **ग्रेटर टुन्ब, लेसर टुन्ब और अबू मूसा द्वीपों** पर नई मिसाइल प्रणालियों का अनावरण किया। ये द्वीप सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे **होर्मुज जलडमरूमध्य** के निकट स्थित हैं।

ईरान के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति:** ईरान **मध्य पूर्व** का देश है। इसकी सीमाएं दक्षिण में **ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी** से तथा उत्तर में **कैस्पियन सागर** से लगती है।
  - **सीमावर्ती देश:** इसके उत्तर में **आर्मेनिया व अजरबैजान,** पश्चिम में **इराक,** उत्तर-पश्चिम में **तुर्की,** पूर्व में **अफगानिस्तान और पाकिस्तान** तथा उत्तर व उत्तर-पूर्व में **तुर्कमेनिस्तान** स्थित है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **भू-आकृति:** इसके अधिकांश भूभाग पर **ईरानी पठार** का विस्तार है। यहां **दश्त-ए-कविर व दश्त-ए-लुत** नामक मरुस्थल भी हैं।
  - **प्रमुख पर्वत:** इसके पश्चिम में **ज़ाग्रोस पर्वत** तथा उत्तर में **अल्बुर्ज पर्वत** है।
  - **प्रमुख नदियां:** करुण नदी, सफीद नदी आदि।